न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा
जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :– भवानी सिंह, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :– 05/2020

अपीलान्ट्स	**बनाम**	**रेस्पोडेंट्स**
ओमाराम उर्फ ओमप्रका"ा चौधरी जाति जाट निवासी लेगों का मोहल्ला ग्राम मालकोसनी तह. बिलाडा जिला जोधपुर		1. कृष्णकंवर पुत्री भंवरसिंह 2. सुरजकंवर पुत्री भंवरसिंह 3. छत्रसिंह पुत्र भंवरसिंह 4. हनुमानसिंह पुत्र भंवरसिंह जातियान राजपूत निवासीगण ग्राम मालकोसनी तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर 5. सरपंच ग्राम पंचायत गुजरावास पंचायत समिति बिलाडा 6. तहसीलदार तहसील बिलाडा

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध म्यूटेशन संख्या 462 ग्राम गुजरावास, तहसील बिलाडा जो सरपंच ग्राम पंचायत गुजरावास, समिति बिलाडा दिनांक 06.07.2011 को स्वीकार किया गया।

1. अपीलान्टस की ओर से श्री मदन लाल चौधरी अधिवक्ता उपस्थित।
2. रेस्पोडेण्ट संख्या 1से 5 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।
3. रेस्पोडेण्ट संख्या 6 सरकारी पैरोकार।

:: निर्णय :: **दिनांक**

संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम गुजरावास पटवार हल्का पड़ासला कलां, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र मालकोसनी तहसील बिलाडा की सरहद में स्थित भूमि खसरा सं. 240 रकबा 2.0791 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम, खसरा सं. 241 रकबा 2.1277 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम कुल खसरा सं. 2 कुल रकबा 4.2068 हैक्टेयर आई हुई है। उपरोक्त खसरान की भूमि में अपीलान्ट का 1/3 हिस्सा था, जिसमें से 1/2 हिस्सा यानि सम्पूर्ण खसरान की भूमि से 1/6 हिस्सा की भूमि जरिये रजिस्टर्ड बैचाननामा दिनांक 15.12.2010 को रेस्पोडेन्ट की माता

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2021.08.02 13:15:07 IST
Reason: SelfAttested

श्रीमति लाडकंवर पत्नी श्री भंवरसिंह को बैचान की। बैचान के प”चात् अपीलान्ट के हिस्से में उपरोक्त खसरान की भूमि से 1/6 हिस्से की भूमि शेष रही। जिसे अपीलान्ट द्वारा आज दिन तक किसी भी सख्श को बैचान नहीं की है तथा उक्त 1/6 हिस्से की भूमि पर अपीलान्ट का ही कब्जा का”त है। तथा अपीलान्ट द्वारा ही भौतिक व वास्तविक रूप स उपयोग में ले रहा है। इसी प्रकार अपीलान्ट द्वारा अपील के संक्षिप्त तथ्य के पद सं. 1 में वर्णित अपने 1/6 हक व हिस्से की भूमि पर अपीलान्ट द्वारा घरेलु आव”यकता हेतु ऋण की आव”यकता होने पर ऋण प्राप्ति हेतु आव”यक दस्तावेज चालु जमाबन्दी की नकल की जरूरत होने के कारण अपीलान्ट दिनांक 06.07.2020 को हल्का पटवारी ग्राम गुजरावास तहसील बिलाडा के पास उक्त हक व हिस्से की अपीलान्ट की भूमि के संबंध में चालु जमाबन्दी की नकल हल्का पटवारी को नियमानुसार शुल्क अदा कर प्राप्त की, तो उक्त जमाबन्दी की नकल देखने पर अपीलान्ट को जानकारी में आया कि अपीलान्ट का नाम चालु जमाबन्दी में उक्त 1/6 हिस्से के संबंध में बतौर खातेदार के रू॰ में दर्ज ही नहीं है। अपितु चालु जमाबन्दी में रेस्पोडेन्ट सं.1से 4 व हरिराम पुत्र भभूतराम का नाम बतौर खातेदार के रूप में दर्ज है। तब अपीलान्ट द्वारा हल्का पटवारी ग्राम गुजरावास से पूछा कि अपीलान्ट का नाम चालु जमाबन्दी में बतौर खातेदार दर्ज क्यों नहीं है? तथा रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 4 का नाम बतौर खातेदार के रूप में दर्ज कैसे हुआ? तब हल्का पटवारी ग्राम गुजरावास ने रेकर्ड देखकर अपीलान्ट को बताया कि म्यूटे”ान सं. 462 के जरिये बैचाननामा दिनांक 15.12.2010 के आधार पर अपीलान्ट की 1/3 हिस्से की सम्पूर्ण भूमि केता लाडकंवर पत्नी भंवरसिंह के नाम खातेदारी दर्ज की गई तथा लाड़कंवर फौत होने पर जरिये फौतेदगी म्यूटे”ान सं. 534 द्वारा लाडकंवर के स्थान पर रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 4 का नाम बतौर खातेदार जमाबन्दो में दर्ज किया गया। तब अपीलान्ट द्वारा हल्का पटवी को नियमानुसार शुल्क अदा कर म्यूटे”ान सं. 462 की सत्यप्रतिलिपि उसी दिन यानि दिनांक 06.07.2020 को प्राप्त की तथा उक्त म्यूटे”ान की नकल देखने पर अपीलान्ट को प्रथम बार यह जानकारी में आया कि उक्त म्यूटे”ान के जरिये अपीलान्ट की शेष भूमि यानि 1/6 हिस्से की भूमि रेस्पोडेन्ट सं.1 से 4 की माता लाडकंवर के नाम दर्ज कर दी गई जबकि अपीलान्ट द्वारा [illegible] शेष 1/6 हिस्से की भूमि रेस्पोडेन्ट सं. 1

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2021.08.02 13:15:07 IST
Reason: SelfAttested

से 4 की माता लाडकंवर को बैचान नहीं की। इसलिये रेस्पोडेन्ट सं. 5 द्वारा स्वीकृत म्यूटे"ान सं. 462 दिनांक 06.07.2011 ग्राम गुजरावास तहसील बिलाडा के विरूद्ध अपील अपीलान्ट द्वारा निम्न आधारों पर प्रस्तुत हैः— आलोच्य म्यूटे"ान सं. 462 रेस्पोडेन्ट सं. 5 द्वारा रजिस्टर्ड बैचाननामा दिनांक 15.12.2010 को अनदेखा व अनपढ़ा कर व रजिस्टर्ड बैचाननामा में वर्णित बैचान हिस्से क विपरीत स्वीकृत किया। जो काबिले निरस्तनीय है। इसी प्रकार अपीलान्ट द्वारा राजस्व ग्राम गुजरावास पटवार हल्का पडासलां कलां भू— अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र मालकोसनी तहसील बिलाडा की सरहद में स्थित भूमि खसरा सं. 240 रकबा 2.0791 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम, खसरा सं. 241 रकबा 2.1277 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम कुल खसरा सं. 2 कुल रकबा 4.2068 हैक्टेयर में स्थित अपने 1/3 हिस्से की भूमि में से 1/2 हिस्से की भूमि यानि उपरोक्त खसरान की सम्पूर्ण भूमि में से 1/6 हिस्से की जरिये रजिस्टर्ड बैचाननामा दिनांक 15.12.2010 को रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 4 की माता श्रीमति लाडकंवर पत्नी श्री भंवरसिंह को बैचान की। जिसका उल्लेख उक्त बैचाननामा के पेज सं.2 पर है। उक्त बैचान के पश्चात उपरोक्त खसरान की सम्पूर्ण भूमि में से अपीलान्ट के हिस्से में से 1/6 हिस्से की भूमि शेष रही जिसे अपीलान्ट द्वारा आज दिन तक किसी भी सख्श को बैचान नहीं की और न ही लाडकंवर को बैचान की। उक्त शेष भूमि पर अपीलान्ट का ही कब्जा काश्त है। तथा अपीलान्ट द्वारा ही मौके पर भौतिक व वास्तविक रूप से उपयोग व उपभोग में लिया जा रहा है। इस प्रकार अपीलान्ट द्वारा अपनी शेष 1/6 हिस्से की भूमि का बैचान रजिस्टर्ड बैचाननामा दिनांक 15.12.2010 द्वारा रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 4की माता श्रीमति लाडकंवर को नहीं करने के बावजूद रेस्पोडेन्ट सं. 5 द्वारा उक्त रजिस्टर्ड बैचाननामा दिनांक 15.12.2010 के आधार पर आलोच्य म्यूटेशन सं. 462 स्वीकृत करते समय अपीलान्ट के शेष 1/6 हिस्से की भूमि भी श्रीमति लाडकंवर के नाम दर्ज कर दी । इसलिये आलोच्य म्यूटेशन सं.462 काबिले निरस्तनीय है। इसी प्रकार आलोच्य म्यूटेशन सं. 462 रेस्पोडेन्ट सं. 5 द्वारा प्राकृतिक के न्याय के सिद्धात के विपरीत स्वीकृत किया होने के कारण काबिले निरस्तरीय है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2021.08.02 13:15:07 IST
Reason: SelfAttested

अतः अपील अपीलान्ट प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार कर आलोच्य म्यूटेशन सं. 462 दिनांक 06.07.2011 ग्राम गुजरावास तहसील बिलाडा को निरस्त किये जाने का आदेश फरमावे तथा रेस्पोडेन्ट सं. 6 तहसीलदार बिलाडा को आदेश दिया जावे कि वो अपील के संक्षिप्त तथ्य के पद सं. 1 में वर्णित खसरान की भूमि के संबंध में अपीलान्ट द्वारा जरिये रजिस्टर्ड बैचाननामा दिनांक 15.12.2010 द्वारा बैचान की गई अपने 1/3 हिस्से में से 1/2 हिस्से की भूमि यानि सम्पूर्ण भूमि में से 1/6 हिस्से की भूमि का पुनः म्यूटेशन क्रेता श्रीमति लाडकंवर फौत होने से रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 4 के नाम दर्ज करे तथा शेष 1/6 हिस्से की भूमि अपीलान्ट के नाम से दर्ज करें। अन्य उचित आदेश बहक अपीलान्ट विरूद्ध रेस्पोडेन्ट्स हो पारित फरमावे।

अपीलान्ट की ओर से अपील में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 म्याद पेश किया है जिसके तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम गुजरावास पटवार हल्का पड़ासला कलां, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र मालकोसनी तहसील बिलाडा की सरहद में स्थित भूमि खसरा सं. 240 रकबा 2.0791 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम, खसरा सं. 241 रकबा 2.1277 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम कुल खसरा सं. 2 कुल रकबा 4.2068 हैक्टेयर आई हुई है। उपरोक्त खसरान की भूमि में अपीलान्ट का 1/3 हिस्सा था, जिसमें से 1/2 हिस्सा यानि सम्पूर्ण खसरान की भूमि से 1/6 हिस्सा की भूमि जरिये रजिस्टर्ड बैचाननामा दिनांक 15.12.2010 को रेस्पोडेन्ट की माता श्रीमति लाडकंवर पत्नी श्री भंवरसिंह को बैचान की। बैचान के प”चात् अपीलान्ट के हिस्से में उपरोक्त खसरान की भूमि से 1/6 हिस्से की भूमि शेष रही। जिसे अपीलान्ट द्वारा आज दिन तक किसी भी सख्श को बैचान नहीं की है तथा उक्त 1/6 हिस्से की भूमि पर अपीलान्ट का ही कब्जा का”त है। तथा अपीलान्ट द्वारा ही भौतिक व वास्तविक रूप से उपयोग में ले रहा है। इसी प्रकार अपीलान्ट द्वारा अपील के संक्षिप्त तथ्य के पद सं. 1 में वर्णित अपने 1/6 हक व हिस्से की भूमि पर अपीलान्ट द्वारा घरेलु आव”यकता हेतु ऋण की आव”यकता होने पर ऋण प्राप्ति हेतु आव”यक दस्तावेज चालु जमाबन्दी की नकल की जरूरत होने के कारण अपीलान्ट दिनांक 06.07.2020 को हल्का पटवारी ग्राम गुजरावास तहसील बिलाडा

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2021.08.02 13:15:07 IST
Reason: SelfAttested

के पास उक्त हक व हिस्से की अपीलान्ट की भूमि के संबंध में चालु जमाबन्दी की नकल हल्का पटवारी को नियमानुसार शुल्क अदा कर प्राप्त की, तो उक्त जमाबन्दी की नकल देखने पर अपीलान्ट को जानकारी में आया कि अपीलान्ट का नाम चालु जमाबन्दी में उक्त 1/6 हिस्से के संबंध में बतौर खातेदार के रूप में दर्ज ही नहीं है। अपितु चालु जमाबन्दी में रेस्पोडेन्ट सं.1से 4 व हरिराम पुत्र भभूतराम का नाम बतौर खातेदार के रूप में दर्ज है। तब अपीलान्ट द्वारा हल्का पटवारी ग्राम गुजरावास से पूछा कि अपीलान्ट का नाम चालु जमाबन्दी में बतौर खातेदार दर्ज क्यों नहीं है? तथा रेस्पोडेेन्ट सं. 1 से 4 का नाम बतौर खातेदार के रूप में दर्ज कैसे हुआ? तब हल्का पटवारी ग्राम गुजरावास ने रेकर्ड देखकर अपीलान्ट को बताया कि म्यूटे”ान सं. 462 के जरिये बैचाननामा दिनांक 15.12.2010 के आधार पर अपीलान्ट की 1/3 हिस्से की सम्पूर्ण भूमि केता लाडकंवर पत्नी भंवरसिंह के नाम खातेदारी दर्ज की गई तथा लाड़कंवर फौत होने पर जरिये फौतेदगी म्यूटे”ान सं. 534 द्वारा लाडकंवर के स्थान पर रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 4 का नाम बतौर खातेदार जमाबन्दी में दर्ज किया गया। तब अपीलान्ट द्वारा हल्का पटवी को नियमानुसार शुल्क अदा कर म्यूटे”ान सं. 462 की सत्यप्रतिलिपि उसी दिन यानि दिनांक 06.07. 2020 को प्राप्त की तथा उक्त म्यूटे”ान की नकल देखने पर अपीलान्ट को प्रथम बार यह जानकारी में आया कि उक्त म्यूटे”ान के जरिये अपीलान्ट की शेष भूमि यानि 1/6 हिस्से की भूमि रेस्पोडेन्ट सं.1 से 4 की माता लाडकंवर के नाम दर्ज कर दी गई जबकि अपीलान्ट द्वारा अपनी शेष 1/6 हिस्से की भूमि रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 4 की माता लाडकंवर को बैचान नहीं की। अपीलान्ट द्वारा आलोच्य म्यूटे”ान सं. 462 की प्रथम बार प्रार्थना पत्र के पद सं. 2 में वर्णित अनुसार दिनांक 06.07.2020 को हल्का पटवारी ग्राम गुजरावास से सत्यप्रतिलिपि प्राप्त करने पर होने से तथा उक्त तारीख को जानकारी होने के प”चात जानकारी तिथि से प्रस्तुत अपील अन्दर म्याद है। अतः प्रार्थना पत्र पे”ा कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र अपीलान्ट स्वीकार कर अपील प्रस्तुतीकरण में हुई देरी को क्षमा करते हुए अपील को अन्दर म्याद सुमार फरमाई जावे व अन्य उचित आदे”ा जो बहक अपीलान्ट विरूद्ध रेस्पोडेन्टस हो पारित फरमावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2021.08.02 13:15:07 IST
Reason: SelfAttested

अपीलान्ट की अपील को दर्ज रजिस्टर किया गया, रेस्पोडेन्ट्स को नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से 6 के नोटिस बाद तामिल पेश हुए, जिन्हे शामिल मिसल किया गया। रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से 5 तक को न्याय हित में पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद उपस्थित नहीं होने पर दिनांक 10.02.2021 को इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। तथा रेस्पोडेण्ट संख्या 6 प्रफोर्मा पक्षकार होने से जबाव ही आवश्यकता नही है। पत्रावली वास्ते बहस मुकर्रर की गई।

अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील के साथ धारा 5 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया। जिसका रेस्पोडेण्ट्स द्वारा किसी प्रकार का खण्डन नही किया, इस कारण अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम स्वीकार कर अपील का गुणावगुण पर निस्तारण किया जाना उचित है।

उभय पक्षकारान की बहस सुनी गयी। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील म्यूटेशन संख्या 462 ग्राम गुजरावास का जो कि रेस्पोडेण्ट 5 द्वारा स्वीकृत किया गया के विरूद्ध पेश की, उक्त म्यूटेशन रेस्पोडेण्ट संख्या 5 द्वारा रजिस्टर्ड बैचाननामा अपीलाण्ट ओमाराम बहक श्रीमती लाडकंवर दिनांक 15.12.2010 के आधार पर स्वीकृत किया गया। अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत बैचाननामा के अनुसार श्रीमती लाडकंवर को खसरा नम्बर 240 रकबा 12 बीघा 17 बिस्वा व खसरा नम्बर 241 रकबा 13 बीघा 03 बिस्वा में स्थित उसके 1/3 हिस्से में से 1/2 हिस्से की भूमि यानि उपरोक्त दोनो खसरान के सम्पूर्ण रकबा में से 1/6 हिस्से की भूमि बैचान की परन्तु उक्त बैचाननामा के आधार पर आलौच्य म्यूटेशन रेस्पोडेण्ट संख्या 5 द्वारा स्वीकृत करते समय अपीलाण्ट की उपरोक्त दोनो खसरान में स्थित 1/3 हिस्से की भूमि का म्यूटेशन श्रीमती लाडकंवर के नाम स्वीकृत कर दिया। जबकि रेस्पोडेण्ट संख्या 5 को बैचानसुदा 1/6 हिस्से की भूमि के संबंध में ही श्रीमती लाडकंवर के नाम म्यूटेशन कानूनन स्वीकृत करना चाहिए था। इसलिए रेस्पोडेण्ट संख्या 5 द्वारा स्वीकृत आलौच्य म्यूटेशन संख्या 462 रजिस्टर्ड बै[illegible] दिनांक 15.12.2010 के अनुसार स्वीकृत

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2021.08.02 13:15:07 IST
Reason: SelfAttested

किया हुआ नही होने के कारण निरस्त किया जाना उचित है। श्रीमती लाडकंवर फौत होनने पर उक्त आलौच्य म्यूटेशन के अनुसार ही 123 हिस्से की भूमि के संबंध में श्रीमती लाडकंवर के वारिसानों रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से 4 के नाम फौतेदगी म्यूटेशन स्वीकृत किया गया। उक्त फौतेदगी म्यूटेशन भी 126 हिस्से तक ही प्रवृतनीय है।

अतः अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार कर रेस्पोडेण्ट संख्या 5 द्वारा स्वीकृत म्यूटेशन संख्या 462 दिनांक 06.07.2011 ग्राम गुजरावास को निरस्त किया जाता है व रेस्पोडेण्ट संख्या 6 तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश दिया जाता है कि वो निरस्त का नोट उक्त म्यूटेशन की मूल प्रति पर अंकित करे व खसरा नम्बर 240 रकबा 2.0791 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 241 रकबा 2.1277 हैक्टेयर के संबंध में अपीलाण्ट द्वारा रजिस्टर्ड बैचाननामा दिनांक 15.10.2010 द्वारा बैचान की गयी भूमि हिस्सा 1/6 का पुनः म्यूटेशन क्रेता श्रीमती लाडकंवर फौत होने से उसके वारिसान रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से 4 के नाम दर्ज करे तथा अपीलाण्ट की शेष 1/6 हिस्से की भूमि अपीलाण्ट के नाम दर्ज कर पालना रिपोर्ट शीघ्र न्यायालय में पेश करे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे। पत्रावली फैसल ुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(भवानी सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(भवानी सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2021.08.02 13:15:07 IST
Reason: SelfAttested